(1)

10/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
त.दा. बकानी के पत्रांक 800 दि. 1.8.22
से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शा. प०
किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी
को कोई आपत्ति नहीं है। अत: मुताबिक प्रस्ताव
बंटवारा अंतिम डिक्री जारी किये जाना उचित
समझता है। अंतिम डिक्री जारी की जावे। पत्रा०
फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़